



प्रेस नोट

पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

दिनांक 27.08.2024

स्वॉट टीम ट्रांस हिण्डन जोन व थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा स्वयं का फर्जी अपहरण कर फिरौती में एक लाख रुपये माँगने वाला एक अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 26.08.2024 को थाना कौशाम्बी पर वादिया द्वारा लिखित तहरीर दी गई और बताया कि मेरी पुत्री के व्हाट्सएप पर मेरे पुत्र रोहित को बन्धक बनाकर अचेत अवस्था में कुर्सी पर बैठा होने का फोटो भेज कर एक लाख रुपये की मांग की गई है। उक्त सम्बन्ध में थाना कौशाम्बी पर अभियोग पंजीकृत कर घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए दिनांक 27.08.2024 को स्वॉट टीम ट्रांस हिण्डन जोन व थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा सर्विलांस की सहायता मैनुअल इनपुट के आधार पर अपहृत रोहित पुत्र श्री कृष्ण गोपाल को लाटूर रोड़ नाका हिंडोला थाना केसरबाग लखनऊ से बरामद किया गया। उपरोक्त प्रकरण में व्हाट्सएप मैसेज व मैनुअल इनपुट के आधार पर अपहृत रोहित पुत्र श्री कृष्ण गोपाल पर शक होने पर स्वॉट टीम ट्रांस हिण्डन जोन व थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा पूछताछ की गई तो यह तथ्य प्रकाश में आए कि अपहृत रोहित पुत्र श्री कृष्ण गोपाल ने पैसों के लिए अपने अपहरण की झूठी सूचना के लिए खुद को बन्धक बनाकर अचेत अवस्था में कुर्सी पर बैठा हुआ टाइमर लगाकर फोटो लिया था। और अपनी बहन को व्हाट्सएप पर भेजकर एक लाख रुपये की फिरौती मांगी थी। तत्काल स्वॉट टीम ट्रांस हिण्डन जोन व थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त रोहित पुत्र श्री कृष्ण गोपाल उपरोक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्त रोहित पुत्र श्री कृष्ण गोपाल से पूछताछ करने पर बताया कि मैंने अपने अपहरण की झूठी सूचना के लिए खुद को बन्धक बनाकर अचेत अवस्था में कुर्सी पर बैठा हुआ टाइमर लगाकर फोटो लिया था और अपनी बहन के व्हाट्सएप पर भेजकर एक लाख रुपये की फिरौती मांगी थी। यह मैंने इसलिए किया क्योंकि मैंने दिनांक 23.08.2024 को सन क्रिप्टो एप्प पर बिट कॉइन खरीदने के लिये 24,000/- इन्वेस्ट किए थे। उसके बाद उन्हें निकालने के लिये उनमें ज्यादा क्रेडिट स्कोर होना चाहिए था। उसे बढ़ाने के लिये एप्प में रुपये 60,000/- और डालने थे। वही रुपये प्राप्त करने के लिए मैंने यह सब किया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

रोहित पुत्र श्री कृष्ण गोपाल निवास- म0न0 145,41 BN PAC उम्र 19 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

स्वॉट टीम ट्रांस हिण्डन जोन व थाना कौशाम्बी पुलिस टीम।

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा अपहरण कर बर्बर हत्या करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 17-08-2024 को वादी श्री अमन स्वामी पुत्र अजय स्वामी निवासी आई-008 केडब्लू सृष्टि राजनगर एक्सटेंशन थाना नन्दग्राम कमि0 गाजियाबाद ने सूचना दी कि मेरा साला तरुण पवार दिनांक 16-8-24 की शाम से घर से मोरटी गांव काम से जाने के लिए बता कर निकला था, तब से ही उसका फोन स्विच ऑफ है, उक्त सूचना पर थाना नन्दग्राम गुमशुदगी पंजीकृत की गयी थी, गुमशुदा का काफी खोज बीन के बाद भी सुराग ना लगने पर उक्त के क्रम में अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरण- उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए, स्वाट टीम व थाना स्तर पर टीमों का गठन किया गया, दिनांक 24-08-24 को घटना में शामिल 03 अभियुक्तों (02 पुरुष व 01 महिला) को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था, घटना में शामिल वांछित अभियुक्त अंकुर को दिनांक 27-08-2024 रोटरी गोल चक्कर से हिण्डन विहार मेट्रो स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त अंकुर ने पूछताछ में बताया कि हमारे साथी दीपांशु, अंकित, अंजली, अक्षय, जीते, पवन व वंश के साथ मिलकर तरुण पवार उपरोक्त की हत्या करने की योजना बनायी थी। दीपांशु व अंकित के मकान मालिक मनोज पुत्र रूपा निवासी ग्राम मोरटा थाना बापूधाम जनपद गाजियाबाद भी हमारी योजना में शामिल थे, हम लोगो ने योजनाबद्ध तरीके से तरुण पवार की हत्या की थी। तरुण पवार इन्टीरियर डिजाइनिंग का काम करता था तथा अंजली जिसका अपने पति से छुटछुटाव हो गया है जो अक्षय की साली है। तरुण पवार की अंजली के साथ नजदीकी थी, अंजली को पवन भी चाहता था। दिनांक 16.08.2024 को योजनाबद्ध तरीके से दीपांशु उपरोक्त ने तरुण पवार को फोन कर घर में इन्टीरियर डिजाइन का काम करने के बहाने से मोरटा में अपने किराये के मकान में बुलाया था जहाँ पहले से ही पवन, वंश, जीते, दीपांशु, अंकित व मैं पहले से मौजूद थे। तरुण के आने पर हम लोगो ने उसे अन्दर कमरे में बैठा लिया था और रस्सी डालकर गला दबाया जिससे वह बेसुद हो गया, और

उसके साथ मारपीट उसके सिर पर डंडे से वार कर उसकी हत्या कर दी थी। मैं घर के बाहर खड़ा निगरानी कर रहा था, जब हम यकीन हो गया कि तरुण मर गया, तब मैं और जीते वहां से मो0सा0 से निकल गये थे, तथा पवन, वंश, दीपांश व अंकित वही तरुण की लाश को ठिकाने लगाने के लिए वहीं रुक गये थे, जिनके द्वारा बाद में तरुण पंवार की लाश को ठिकाने लगाया गया था।

अभि0 का नाम व पता-

अंकुर पुत्र बिजेन्द्र सिंह निवासी गांव खरकाली थाना बीबीनगर जिला बुलन्दशहर उम्र करीब 25 वर्ष ।

गिरफ्तार करने वाली टीम—

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम ।

थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम द्वारा बैग लूटकर भागने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व लूट के 1970/- रुपये बरामद ।

दिनांक 25.08.2024 को वादी श्री राकेश कुमार निवासी 5 नम्बर भट्टा गांव गढी जनपद गाजियाबाद की लिखित तहरीर के आधार पर थाना मधुबन बापूधाम पर बाइक सवार दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी का बैग (जिसमें 21000/- रुपये व कागजात थे) को छीन कर भाग जाने के सम्बन्ध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही का विवरण

आज दिनांक 27.08.2024 को लोकल इनपुट, इंटेलिजेन्स व मुखबिर की सूचना पर दुहाई फ्लाई के पास थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम द्वारा बैग लूटकर भाग जाने वाले दो अभियुक्तों को मोटरसाइकिल व लूटे गये रूपये व दस्तावेजों के साथ जीडीए गोल चक्कर से दुहाई बम्बे की तरफ जाने वाले रास्ते पर गिरफ्तार किया गया है । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ विवरण

पूछताछ करने पर अभियुक्तों द्वारा बताया कि साहब हम दोनो रात को मोटरसाइकिल से घूम रहे थे । जब हम दुहाई पेरीफेरल के पास पहुंचे तो एक बूढ़ा व्यक्ति गाजियाबाद की तरफ पैदल ऑटो से उतर कर जा रहा था । जिसके हाथ में एक काले रंग का छोटा बैग था । हमने उस व्यक्ति से वो बैग छीन लिया और मोटरसाइकिल लेकर भाग गये । हम लोगो के पास से बरामद रूपये और आधार कार्ड उसी घटना से सम्बन्धित हैं, बाकी रूपये हम लोगो ने क्लव में जाकर खर्च कर लिये है। बरामद बिना नम्बर प्लेट मोटरसाइकिल के सम्बन्ध में जानकारी करने पर अभिषेक उपरोक्त ने बताया कि यह वही मोटर साइकिल है । जिससे हमने बैग छीना था । ये मेरी भाभी मंजू कश्यप के नाम है । जिसका न0 UP14DH9307 है।

अभियुक्त का नाम पता

1-अभिषेक कश्यप उर्फ माँगे पुत्र दीपचन्द्र निवासी ग्राम दुहाई थाना मधुबन बापूधाम जिला गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष।

2-गौरव उर्फ सलीम पुत्र बल्ली निवासी ग्राम दुहाई थाना मधुबन बापूधाम जिला गाजियाबाद उम्र 23 वर्ष।

बरामदगी का विवरण

1. लूटे गये 1970/- रुपये व दस्तावेज

2. घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल UP14DH9307

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम ।